रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 26—मार्च 4, 2017, शनिवार/फाल्गुन 7—फाल्गुन 13, 1938
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2017, SATURDAY PHALGUNA 7— PHALGUNA 13, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 60.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल, योधक सिपाही (चालक) में समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का और संषेाधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योधक सिपाही (चालक) में समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल, योधक सिपाही (चालक) में समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में,–

(I) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.– उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। ";

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years.		

[F.No.12-3/2014-Admn.VI(P)]
DHARM PRAKASH, Under Secy.

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

(राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

सा.का.नि. 68.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, **[**निदेशक **(**वित्त और प्रशासन), निदेशक (राष्ट्रीय डाटा केन्द्र) और निदेशक (तकनीकी विषय)**]** भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :**—** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा**,** जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**:— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** — वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (वित्त और प्रशासन)	1* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 13 रु.-118500-214100 वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 12, रु. 78800-209200 वेतन मैट्रिक्स के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 11,	लागू नहीं होता ।	भर्ती नियम के किसी प्रावधान में प्रतिनियुक्ति और संशोधन तथा शिथिलता पर अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

रु. 67700-208700 वेतन मैट्रिक्स के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ; (ii) प्रशासन के क्षेत्र में बजट और लेखा सहित वित्तीय मामलों में पांच वर्ष के अनुभव सहित बारह वर्ष का अनुभव **टिप्पण** : -प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, संविदा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (राष्ट्रीय डाटा केन्द्र)	1* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 13 'ए' रु. 131100-216600 वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	लागू नहीं होता ।	भर्ती नियम के किसी प्रावधान में प्रतिनियुक्ति और संशोधन तथा शिथिलता पर अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 13, रु.118500-214100 वेतन मैट्रिक्स के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 12, रु.78800-209200 वेतन मैट्रिक्स के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोद्यौगिकी में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान और प्रोद्यौगिकी में एम.एस.सी. या कंप्यूटर विज्ञान और प्रोद्यौगिकी में मास्टर ऑफ स्टडीज या कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) में स्नातकोत्तर डिग्री ; (ii) डाटा केन्द्र प्रबंधन नेटवर्किंग या सूचना प्रोधौगिकी प्रणालियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन में बारह वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:** सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित विषय या विधा में डॉक्टरेट डिग्री **<u>टिप्पण</u> :** -प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, संविदा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (तकनीकी विधा) (i) पशु पालन और मत्स्य (ii) कृषि और बागवानी (iii) जल प्रबंधन (iv) वानिकी (v) वाटरशेड विकास या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र	5* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 13 'ए' रु.-131100-216600 वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 13, रु.118500-214100 वेतन मैट्रिक्स के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 12, रु.78800-209200 वेतन मैट्रिक्स के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-	लागू नहीं होता ।	भर्ती नियम के किसी भी प्रावधान में प्रतिनियुक्ति और संशोधन तथा शिथिलता पर अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनिवार्य **पशु पालन और मत्स्य** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटरनरी विज्ञान या पशुपालन या डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रोद्योगिकी या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) पद की विधा से संबंधित विषय या क्षेत्र में बारह वर्षों का अनुभव । **<u>कृषि और बागवानी</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या पादप प्रजनन या आनुवंशिकी या बागवानी में विशेषज्ञता के साथ कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) पद की विधा से संबंधित विषय या क्षेत्र में बारह वर्षों का अनुभव । **<u>जल प्रबंधन</u>** (i) जल संसाधन या जल विज्ञान या मृदा विज्ञान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मिट्टी और जल संरक्षण इंजीनियरिंग या पृथ्वी विज्ञान या जियोहाइड्रोलोजी या रिमोट सेंसिंग में स्नातकोत्तर; (ii) पद की विधा से संबंधित विषय या क्षेत्र में बारह वर्षों का अनुभव । **<u>वानिकी</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वानिकी या वन्य प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर (ii) पद की विधा से संबंधित विषय या क्षेत्र में बारह वर्षों का अनुभव । **वाटरशेड विकास या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मृदा विज्ञान या मिट्टी और जल संरक्षण इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर; (ii) पद की विधा से संबंधित विषय या क्षेत्र में बारह वर्षों का अनुभव । **वांछनीय:** विकास कार्यक्रम से निपटने में एक साल का अनुभव या वर्षा आधारित खेती के क्षेत्र में योजनाओं के साथ संबंधित विषय या अनुशासन में डॉक्टरेट की उपाधि । **<u>टिप्पण</u>** 1: ठीक विधा और अर्हता को प्रत्येक चयन के समय उपदर्शित किया जाएगा ।		

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, संविदा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. 1-1/2017-रा.व.सि.क्षे. प्रा.]

राजिन्द्र प्रसाद, अवर सचिव

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

(NATIONAL RAINFED AREA AUTHORITY)

New Delhi, the 3rd March, 2017

G.S.R. 68. **—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Planning, National Rainfed Area Authority [Director (Finance and Administration), Director (National Data Centre) and Director (Technical Disciplines)]. Recruitment Rules, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the National Rainfed Area Authority, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, National Rainfed Area Authority [Director (Finance and Administration), Director (National Data Centre) and Director (Technical Disciplines)] Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix. – The number of the said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification – No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of persons.

7. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director (Finance and Administration)	1* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-13, Rs. 118500-214100 in the pay matrix.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By Deputation (Including Short Term Contract)	Officers under the Central Government or State Government or UTs or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:— (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-12, Rs. 78800-209200 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) With ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in Level-11, Rs. 67700-208700 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Twelve years' experience in the field of administration including five years experience in finance matters including budget and accounts. **Note.—** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with UPSC is necessary while appointing an officer on deputation and for amendment or relaxation of any provision of this recruitment rule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Director (National Data Centre)	1* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level-13A, Rs.131100-216600 in the pay matrix.	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Deputation (Including Short Term Contract)	Officers under the Central Government or State Government or UTs or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:— (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 13, Rs. 118500-214100/- of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in Level 12, Rs. 78800-209200 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualification and experience; (i) Bachelor in Technology or Bachelor in Engineering in Computer Science and Engineering or M.Sc in Computer Science and Engineering or Master of Studies in Computer Science and Technology or Master Degree in Computer Application (MCA) from a recognised University. (ii) Twelve years' experience in Data Centre Management or Networking or Developing, implementing and managing information technology systems. **Desirable.—** Doctoral degree in concerned subject or discipline with one year experience in the field of Information Technology. **Note .—** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not Applicable	Consultation with UPSC is necessary while appointing an officer on deputation and for amendment or relaxation of any provision of this recruitment rule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Director (Technical Discipline) (i) Animal Husbandry and Fisheries; (ii) Agriculture or Horticulture; (iii) Water Management; (iv) Forestry; (v) Watershed Development or Social Science or Economics.	5* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-13A, Rs. 131100-216600/- in the pay matrix	Not Applicable	Not Applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Deputation (Including Short Term Contract)	Officers under Central Government or State Government or UTs or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:- (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two year's regular service in the post carrying the scale of Level-13, Rs. 118500-214100 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With six years' service in the post carrying the scale of Level-12, Rs. 78800-209200 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or; and (B) Possessing the following educational qualification and experience; **Essential:** **Animal Husbandry and Fisheries :** (i) Master's degree in Veterinary Science or Animal Husbandry or Dairy Science or Dairy Technology or Fishery Science from recognised university or institute. (ii) Twelve Years' experience in the concerned subject or area of discipline of the post. **Agriculture and Horticulture:** (i) Master's degree in Agriculture Science with specialization in Agronomy or Plant Breeding or Genetics or Horticulture from a recognized university or institute. (ii) Twelve Years' experience in the concerned subject or area of discipline of the post.

	Water Management : (i) Master' degree in Water Resources or Hydrology or Soil Sciences or Soil and Water Conservation Engineering or Earth Science or Geohydrology or Remote Sensing from a recognized university or institute. (ii) Twelve years' experience in the concerned subject or area of discipline of the post. **Forestry:** (i) Master's degree in Forestry or Wild Life Science from a recognised university or institute. (ii) Twelve years' experience in the concerned subject or area of discipline of the post. **Watershed Development or Social Science or Economics:** (i) Master's Degree in Soil Sciences or Soil and Water Conservation Engineering or Civil Engineering or Sociology or Economics from a recognised university or institute. (ii) Twelve Years' experience in the concerned subject or area of discipline of the post. **Desirable.—** Doctorate Degree in concerned subject or discipline with one year's experience in handling development programme or schemes in rainfed farming areas. **Note 1.—** The exact discipline and qualification shall be indicated at the time of each selection. **Note 2.—** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with UPSC is necessary while appointing an officer on deputation and for amendment or relaxation of any provision of this recruitment rule.

[F. No. 1-1/2017/NRAA]

RAJINDER PARSHAD, Under Secy.